

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-236/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आनन्द कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुर्साकॉटा, अररियाके दिनांक-06.12.2022 से 10.12.2025 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-11.12.2025 से 28.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-06.12.2022 से 10.12.2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2015)
ii	दिनांक-11.12.2025 से 26.12.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में
iii	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक	-	पदग्रहण काल के रूप में

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-236/2026- 21/12/26 पटना, दिनांक 10/12/2026

प्रतिलिपि :महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुर्साकॉटा, अररिया/ कोषागार पदाधिकारी, अररिया/डा० आनन्द कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुर्साकॉटा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wpnmnk 21/12/26
सरकार के उप सचिव।
R